

Bidya Society's Industrial Training Centre

NEAR ENGINEERING COLLEGE, GANJPUR, NEORA, PATNA

Recognised by Directorate General of Employment & Training (DGET)

(NCVT), Ministry of Labour & Employment, Govt. of India,

Vide letter No.-SCIR-10/11/2009, Dated 29/12/2009

1. विद्यार्थी का नाम (हिन्दी में).....
Student's Name (In English).....
2. पिता या अभिभावक का नाम (हिन्दी में).....
Father's / Guardian's Full Name (In English).....
3. पेशा (Occupation).....
4. अभिभावक के साथ संबंध (Relation with Guardian).....
5. माँ का नाम (Mother's Name).....
6. घर का स्थायी पता (Permanent Address).....

7. स्थानीय पता (Local Address).....

8. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता (Educational/Technical/Qualification).....

Examination Passed	Board/University	Name of Institution	Year of Passing	Class/Division	Marks

9. जन्म तिथि (Date of Birth).....

(a) राष्ट्रियता (Nationality)..... (b) जाति (Caste/Category).....

(c) मातृभाषा (Mother Tongue).....

10. अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कहाँ ? कार्यालय का पता (Whether Serving.....if so where)

सरकारी (Govt)..... गैर सरकारी (Private Undertaking)

11. खेल जिसमें आप भाग लेते हैं (Game in which you take part) :-

12. आप किस कोर्स के लिए नामांकन लेना चाहते हैं (Courses for which Admission is sought) :-

Trade.....Session.....Contact No.:.....

13. प्रशिक्षण की भाषा का माध्यम (Medium of Instruction) (i) हिन्दी (Hindi) (ii) अंग्रेजी (English) (iii).....

14. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण सही है। मैं इंस्टीच्यूट (B.S.I.T.C.) के नियम एवं कानून का पालन करूँगा / करूँगी। अगर मेरे द्वारा दिया गया विवरण गलत पाया गया तो इंस्टीच्यूट उचित कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।

Date :

Reg. No./Batch No.:

विद्यार्थी का हस्ताक्षर/ Student's Signature

निदेशक की अनुशंसा / (Recommendation by Director)

15. Above mentioned person is Permitted / not Permitted / Take Admission.

आवश्यक शर्तें एवं नियम :-

1. संस्थान शुल्क के अलावे प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर होने वाला व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
2. शुल्क की मासिक किस्त की राशि उन्हें प्रत्येक माह के 1 से 10 तारीख तक जमा करना होगा, बिलंब से जमा करने पर 50 रुपये प्रतिमाह की दर से शुल्क लगेगा। जो प्रशिक्षणार्थी लगातार तीन माह तक फीस नहीं जमा करेंगे उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा तथा उनकी जमा राशि नहीं लौटायी जायेगी।
3. परीक्षा एवं पंजीयन शुल्क अलग से लगेगा।
4. एक बार जमा की गई राशि किसी भी परिस्थिति में ना तो वापस की जाएगी और ना ही किसी अन्य कोर्स में समायोजित की जाएगी। इसलिए नामांकन के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लें और तब ही नामांकन कराएँ।
5. प्रवेश के बाद जो प्रशिक्षणार्थी अपने ट्रेड में परिवर्तन कराना चाहते हों तो उन्हें इसके लिए अलग से 3000/- रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा। (स्थान खाली रहने पर मान्य है)
6. सभी प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में संस्थान के पोशाक में रहकर अनुशासन में रहना होगा। बिना संस्थान का पोशाक वाले प्रशिक्षणार्थी को क्लास में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। जो प्रशिक्षणार्थी अनुशासन का पालन नहीं करेंगे उन्हें किसी भी समय संस्थान से स्थायी रूप से हटा दिया जायेगा तथा उनके द्वारा जमा की गई राशि को भी नहीं लौटायी जायेगी।
7. संस्थान स्वयं सभी प्रशिक्षणार्थियों को आई0 कार्ड, क्लास बैग, डायरी तथा एक सेट ड्रेस का कपड़ा उपलब्ध करायेगी इसके लिए प्रशिक्षणार्थी से कोई शुल्क नहीं ली जायेगी।
8. जिन प्रशिक्षणार्थी द्वारा वर्कशॉप Tools, Equipments की टूट-फूट होगी उसकी उचित कीमत प्रशिक्षणार्थी से वसूल की जायेगी।
9. परीक्षा :-
हर छः माह पर परीक्षाएँ संचालित होगी तथा रिपोर्ट कार्ड अभिभावक के पास डाक से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा प्रपत्र पूर्व में जमा करना होगा।
10. सभी प्रकार के प्रमाण पत्र छात्र/छात्राओं को ही हस्तगत कराया जायेगा। अभिभावक को किसी तरह का प्रमाण-पत्र हस्तगत नहीं किया जाएगा।
11. रैगिंग (Ragging) एक दण्डनीय अपराध है तथा पूर्णतः प्रतिबंधित है। अतः किसी भी रूप में रैगिंग में संलग्न पाये जाने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
12. सभी तरह की सूचनाएँ (अर्थात नामांकन/परीक्षा/कक्ष/अन्य) सूचना पट्ट (Notice Board) पर प्रकाशित की जाएगी। कोई भी सूचना फोन/एस.एम.एस. (SMS), पत्र द्वारा नहीं दी जाएगी। अतः छात्रों से आग्रह है कि सभी सूचनाओं के लिए संस्थान के सूचना पट्ट (Notice Board) नियमित रूप से देखा करें।
13. वर्ग में निर्धारित समय से कम-से-कम पाँच मिनट पहले अपने स्थान पर बैठ जाना होगा।
14. जो विद्यार्थी वर्ग में जितनी देर से आयेगा, उतना ही समय के लिए अनुशासनिक कार्रवाई के अन्तर्गत उन्हें खड़ा होकर क्लास करना होगा।
15. बगैर अनुमति के क्लास से अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड देना होगा।
16. यदि छात्र अचानक किसी कारणवश संस्थान आने में सक्षम नहीं है या पटना से बाहर जाना है, तो उस स्थिति में किसी व्यक्ति के माध्यम से आवेदन पत्र द्वारा इसकी सूचना प्राचार्य या कार्यालय B.S.I.T.C. को देना अनिवार्य है अन्यथा प्रशिक्षणार्थी उचित दण्ड के भागी होंगे।
17. यदि छुट्टी लेकर घर जाने पर बीमारी या किसी भी और कारणवश कोई प्रशिक्षणार्थी संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि को आने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में छुट्टी बढ़ाने के लिए निर्बंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र या किसी माध्यम से प्राचार्य/कार्यालय B.S.I.T.C. को सूचित करना अनिवार्य है।
18. यदि प्रशिक्षणार्थी बीमार है, या थे तो Medical Leave के लिए डॉक्टर का Prescription Slip समय पर लाकर दिखाना होगा अथवा निर्बंधित डाक द्वारा सही समय पर भेजना होगा।
19. वर्ग तथा संस्थान के प्रांगण में धूम्रपान/पान/तम्बाकू या किसी प्रकार का नशा आदि का उपयोग करना सख्त मना है।
20. वर्ग कक्षा में नोट बुक और कलम के साथ आना तथा साथ ही परिचय पत्र (Identity Card) का होना अनिवार्य है अन्यथा क्लास करने की अनुमति नहीं होगी।
21. बिना परिचय-पत्र (Identity Card) के Practical का सामान या Tools नहीं मिलेगा।
22. वर्ग में या वर्कशॉप में मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा तथा वापस नहीं किया जाएगा।
23. Final A.I.T.T. Exam में बैठने के लिए कम-से-कम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। जिनकी उपस्थिति 80% से कम होगी, उन्हें A.I.T.T. Exam में बैठने नहीं दिया जाएगा एवं जिनकी उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी उन्हें संस्थान की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा।
24. Final A.I.T.T. Exam में 80 प्रतिशत या उससे अधिक Marks लाने पर संस्थान की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा।
25. यदि किसी विद्यार्थी को विषय समझने में परेशानी है तो वह एक से अधिक Class join कर सकता है, जिसके लिए उसे अतिरिक्त Tuition Fee देने की आवश्यकता नहीं होगी।
26. किसी भी Trainees और Instructor को अतिरिक्त समय में क्रमशः अतिरिक्त शुल्क देकर पढ़ने और अतिरिक्त शुल्क लेकर पढ़ाने की अनुमति नहीं है। इस नियम के विरुद्ध काम करने पर संबंधित व्यक्ति दंड के हकदार होंगे।
27. Trainees को संस्थान में अनुशासित तरीके से रहना होगा। अनुशासन भंग करने, चोरी, मारपीट तथा अभद्र व्यवहार की सूचना पाते ही संबंधित छात्र/छात्रा को संस्थान से निकाल दिया जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
28. यदि विद्यार्थी को किसी प्रकार की शिकायत हो तो उचित माध्यम द्वारा निदेशक/प्राचार्य को Application द्वारा अवगत कराया जा सकता है। किसी भी प्रकार का Application वर्ग अनुदेशक के माध्यम से संस्थान के कार्यालय में अधिकृत व्यक्ति को देना है तथा उसपर Application जमा करने की तिथि, मोबाइल नं0 और विद्यार्थी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। Application जमा करने के सातवें दिन Office से अनुरोध की स्वीकृति/अस्वीकृति के बारे में पता लगाना आवश्यक है।
29. अभिभावक-अनुदेशक मिलन के दिन अभिभावक का आना आवश्यक है।
30. अनुशासन हीनता तथा नियमित कक्षा से अनुपस्थित रहने पर डाक से स्थानांतरण प्रमाणपत्र घर भेज दिया जाएगा।

उपर्युक्त नियम एवं शर्तों को पढ़कर समझ लेने के बाद मैं नामांकन हेतु सहमत हूँ-

अभिभावक का हस्ताक्षर

विद्यार्थी का हस्ताक्षर